

(2)

वाणिज्य - जोधपुर डिस्कॉम/ ५४०

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर


क्रमांक : जोडि/प्र.नि./मु.अ. (सी. एण्ड पी.)/अ.अ. (आर.ए. एवं सी)/फा० /प्रे० २२४९ दिनांक १९.१.०९

आदेश

दिनांक 19.01.2009 को आयोजित आर०ई० और प्लान की रिव्यू मितिग के दौरान माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक गहोदय के ध्यान में यह लाया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिन्हे विद्यमान एल०टी० लाईन से एकल बिन्दु घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे है, उनसे फिक्साड गांग पत्र राशि इत्यादि ली जा रही है।

इस संबन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, जिन्हे विद्यमान एल०टी० लाईन से एकल बिन्दु घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे है, उनसे किसी भी प्रकार की राशि नही ली जावे एवं उक्त कनेक्शन तुरन्त जारी किये जाये।

आज्ञा से


(एस.के. कुलश्रेष्ठ)
मुख्य अभियन्ता (सी एण्ड पी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट:- यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेब साईट www.rajeenergy.com/ www.jdvvn.com पर भी उपलब्ध है।

पेज 02 का 01